दिनांक–22.12.2018 को 12:30 बजे अपराहन् में हुई बोर्ड की 391वीं साधारण बैठक की कार्यवाही:–

निम्नलिखित उपस्थित सदस्य

1. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग –सह–अध्यक्ष बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना — अध्यक्ष
2. अपर वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना — सदस्य
3. उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना — सदस्य
4. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना — सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य :–

4. राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, शेखपुरा, पटना

–: कार्यवाही :–

क्र0	प्रस्ताव	निर्णय
1	गत बैठक में लिये गये निर्णय को संपुष्ट करना।	कंडिका – 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13 की संपुष्टि की गई।
	अन्य कंडिकाओं को निदेश के साथ संपुष्टि की गई।	
6	बोर्ड के विभागीय मंगलोर टाईल्स उत्पादन केन्द्र, सारामोहनपुर, दरभंगा (बंद) स्थित तालाब को मछली पालन हेतु बंदोबस्त की स्वीकृति देना।	जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को दरभंगा के जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी के साथ संयुक्त स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने एवं तदोपरान्त इस संदर्भ में दिनांक–27.12.2018 तक इसके विकास हेतु G.T India के सहयोग से Tender प्रकाशित करने के निदेश के साथ संपुष्टि की गई।

Scanned by CamScanner

14.	उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए भागलपुर एवं घुंघरीटाड़, गया का बोर्ड का जमीन लीज पर देने की स्वीकृति देना।	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर उचित योजना के प्रस्ताव समर्पित करने के प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय द्वारा संपुष्ट की गई।
15.	खादी बोर्ड द्वारा online बिक्री करने हेतु Amazon से एकरारनामा करने की स्वीकृति देना।	31 जनवरी, 2019 के पूर्व Amazon एवं Flipkart के साथ MOU Sign. कर E-marketing करने हेतु G.T India को निदेश के साथ संपुष्टि की गई।
16.	मुंगेर में मधु प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की स्वीकृति देना।	खादी बोर्ड की जमीन पर मधु प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापित करने के निदेश के साथ संपुष्टि की गई। साथ ही इच्छुक मधुपालकों से इसकी स्थापना किये जाने हेतु G.T India को विज्ञापन तैयार कर प्रकाशित कराने का निर्णय लिया गया।
17.	बिहार से बाहर बिहार इम्पोरियम खादी शो–रूम खोलने की स्वीकृति देना।	बिहार फाउन्डेशन के माध्यम से कोच्चि में 4000 वर्ग फीट खुलने वाले शो–रूम हेतु इच्छुक शो–रूम संचालन PPP के माध्यम से चलाने हेतु चयन किया जा सकता है एवं श्री राजा सेतु नाथ, निदेशक, केरला चेम्बर ऑफ कॉमर्स को मुख्य संरक्षक के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया। शो–रूम की स्थापना हेतु G.T India को एकरारनामा के अनुरूप कार्रवाई करने एवं शो–रूम स्थापना करने के निदेश के साथ संपुष्टि की गई। साथ ही अन्य शहरों में शो–रूम स्थापना के संदर्भ में अद्यतन प्रगति G.T. India को अवगत कराने का निदेश दिया गया।
18.	बिहार हाट खोलने की स्वीकृति देना।	इस संदर्भ में सभी 9 प्रमंडल में बिहार हाट की स्थापना हेतु PPP मोड में खोलने पर सहमति

Scanned by CamScanner

		प्रदान की गई एवं इस हेतु एक Newspaper Add G.T. India द्वारा तैयार कर प्रकाशित करने हेतु को निदेश के साथ संपुष्टि की गई।
19.	नई संस्था को चरखा एवं करघा उपलब्ध कराने की स्वीकृति देना।	दिनांक–01.12.2018 को निर्गत कार्यवाही में कंडिका–19 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में संस्थाओं द्वारा किये गये Online आवेदन के उपरान्त नियमानुसार मार्जिन मनी प्राप्त कर यथाशीघ्र 25–25 चरखा एवं 5–5 लूम उपलब्ध कराने के निदेश के साथ संपुष्टि की गई।
20.	जीविका समूह को प्रशिक्षणोंपरान्त चरखा एवं करघा उपलब्ध कराने की स्वीकृति देना।	बिहार के प्रत्येक जिला में जीविका के 10% लोगों को सूत कताई का प्रशिक्षण देने तथा प्रत्येक जिला में जीविका समूह के सदस्यों का Online Apply किये गये Pan की सभी औपचारिकता को 30 दिसम्बर तक G.T. India द्वारा पूर्ण कराने एवं निबंधन कराने के निदेश के साथ संपुष्टि की गई।
21.	बैंक के माध्यम से कतिन/बुनकरों के मजदूरी का भुगतान सभी खादी संस्थाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाय।	G.T. India को खादी संस्थाओं में लगे कामगारों को RTGS के माध्यम से किये गये भुगतान एवं Bank Statement प्राप्त करने के निदेश के साथ संपुष्टि की गई। यह कार्य 31 जनवरी तक पूर्ण कर लिया जाय।
22.	खादी बोर्ड के PMA द्वारा बुनकरों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रस्ताव एवं बजट तैयार करने की स्वीकृति देना।	5 जनवरी,2019 तक प्रशिक्षण का कार्य आरंभ करने के निदेश के साथ संपुष्टि की गई।
23.	भागलपुर में कोकून बैंक की स्थापना करने की स्वीकृति देना।	सिल्क सिटी की स्थापना हेतु BSIDC के द्वारा उपलब्ध कराने पर सहमत भू–खण्ड पर किये जाने हेतु उत्पादकों का फेडरेशन बनाकर तथा भागलपुर में रेशम प्रक्षेत्र के कैम्पस में यथाशीघ्र

Scanned by CamScanner

		कोकून बैंक की स्थापना किये जाने के निदेश के साथ संपुष्टि की गई। इस संबंध में CEO द्वारा G.T. India के साथ भागलपुर भ्रमण कर निर्णय लिया जायेगा।
24.	रेशम बुनकर खादी ग्रामोद्योग संघ, भागलपुर द्वारा Common Facility Centre के बनाने की स्वीकृति देना।	इस हेतु PMA को निदेश दिया गया कि बोर्ड की जमीन पर या BSIDC के जमीन पर CFC तैयार करने हेतु EOI/RFP G.T. India द्वारा तैयार कर प्रकाशन 7 जनवरी, 2019 के पूर्व करने के निदेश के साथ संपुष्टि की गई।
25.	गुणवत्ता जॉच केन्द्र की स्थापना करने की स्वीकृति देना।	G.T. India LLP को निदेश दिया गया कि EOI/RFP का प्रकाशन 7 जनवरी, 2019 के पूर्व करने के निदेश के साथ संपुष्टि की गई।
26.	खादी संस्थाओं का निबंधन KVIC में कराने हेतु प्रचारित किया जाय।	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं KVIC में आवेदनों को और अधिक संख्या में आने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाय। विज्ञापन प्रारूप को KVIC को भी दिखा लिया जाय।
2. दिनांक–18.12.2018 को 11:00 बजे पूर्वाहन् में हुई स्थापन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की संपुष्टि		
क	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों दिनांक–01.01.2006 का छठ्ठा वेतनमान लागू करने की स्वीकृति देना।	खादी बोर्ड के कार्यरत कर्मियों को छठ्ठे वेतनमान लागू करने की सहमति के क्रम में सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
ख	उपादान अधिनियम 1972 में समय–समय पर संशोधित अधिनियम के आलोक में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सेवकों को स्थापना व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन् किया जाता है को उपादान भुगतान की सीमा 3.50 से बढ़ाकर 10,00,000.00 (दस लाख) करने की स्वीकृति देना।	खादी बोर्ड के कार्यरत कर्मियों को उपादान भुगतान की अधिकतम सीमा 10,00,000.00 (दस लाख) करने की सहमति के क्रम में सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

Scanned by CamScanner

ग	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने की स्वीकृति देना।	सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के निदेश के साथ अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की सहमति की संपुष्टि की गई।
3	G.T. India LLP द्वारा खादी प्रक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले संस्थाओं समितियों, कत्तिनों बुनकरों आदि की समस्यों आदि पर आधारभूत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति देना।	G.T. India से किये गये कार्य की बिंदुवार विवरणी प्राप्त की जाय एवं समीक्षा की जाय।
4	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, महेश भवन, गॉधी मैदान (पूरब) का विल्डिंग निर्माण एवं जीर्णोद्धार के कारण किराया का मकान के किराया भुगतान करने की स्वीकृति देना।	किराया निर्धारण काराने के क्रम में किराया 65,000/– अधिकतम सीमा तक जो निर्धारित होगा के भुगतान पर सहमति प्रदान की गई।

समीक्षा के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा G.T. India LLP को रू0–50,000/– (पचास हजार रूपये) मात्र का मानदेय कटौती करने का निदेश दिया गया।

अगली बोर्ड की बैठक दिनांक–15.01.2019 को 12.30 अपराहन् में रखा जाय।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

प्रधान सचिव
~~–सह–~~ अध्यक्ष

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– उपरोक्त सभी सदस्यगण/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/G.T India LLP Patna/प्रशाखा पदाधिकारी (प्र0)/सभी सहायक लेखा पदाधिकारी/ व्यवस्थापक, खादी भवन, पटना/संबंधित प्रभारी सहायक/निर्गत प्रभारी गार्ड एवं निजी संचिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/18

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

Scanned by CamScanner